

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 41/2024

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

वनाम

1. श्री अजय पुत्र श्री पालूराम (विक्रेता) निवासी वार्ड नं. 19 जगदम्बा कॉलोनी, श्रीगंगानगर, मैसर्स मेहता पैराडाईज होटल एंड रेस्टोरेंट, शॉप नंबर 41, अंबिका सिटी, कुंज विहार के सामने पदमपुर मार्ग, श्रीगंगानगर।
2. श्री राज मेहता पुत्र श्री छिन्द्रपाल (मालिक) निवासी 26 ए सेतिया फार्म, गली नंबर 08, श्रीगंगानगर, मैसर्स मेहता पैराडाईज होटल एंड रेस्टोरेंट, शॉप नंबर 41, अंबिका सिटी, कुंज विहार के सामने पदमपुर मार्ग, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

दिनांक: 13.02.2026

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का राज० गजट नोटिफिकेशन क्रमांक-संख्या प.5 (01) चिस्या / गुप-3 / ई-5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक-आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.05.2024 को समय 16.05.2024 को समय 11.30 बजे को मैसर्स मेहता पैराडाईज होटल एंड रेस्टोरेंट, शॉप नंबर 41, अंबिका सिटी, कुंज विहार के सामने पदमपुर मार्ग, श्रीगंगानगर पर पहुँचे, मौके पर श्री अजय पुत्र श्री पालूराम (विक्रेता) को अपना परिचय देकर संस्थान पर रसोई फ्रिज में रखे खाद्य पदार्थ पनीर के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने रसोई फ्रिज के अंदर रखे ट्रे में रखे खाद्य पदार्थ 04 किलोग्राम पनीर को आमजन को रेस्टोरेंट में विक्रय वास्ते होना बताया, इसी खाद्य पदार्थ में गुणवत्ताहीन होने का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोवारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री अजय पुत्र श्री पालूराम (विक्रेता) एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोवारकर्ता एवं श्री अजय पुत्र श्री पालूराम (विक्रेता) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ पनीर 01 किलोग्राम विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्यशुदा खाद्य पदार्थ पनीर का नगद भुगतान 260 रूपये किया तथा केशमीमो वनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)  
श्रीगंगानगर



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पनीर 01 किलोग्राम को  
एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फॉर्मलिन  
की 20 बूंदे डालकर ढक्कन को कसकर बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर  
चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के-2329 दर्ज किया। प्रत्येक  
लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर  
कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ.  
श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के-2329 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे  
से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार  
सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर  
नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के  
पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द  
चारों नमूना भागों को अपने जापते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर,  
सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री अजय पुत्र श्री पालूराम (विक्रेता) एवं  
गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर  
वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की  
प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा  
करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर  
चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर  
रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियां और चौथा  
भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट  
क्रमांक :-L.S./666/Act/2024/666 Dated 27.05.2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य  
नमूना K-2329 SubStandard Food होना पाया गया। खाद्यकारोबारकर्ता को जांच से असंतुष्ट  
होने की स्थिति में पुनः जांच करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु  
खाद्यकारोबारकर्ता ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्तगण श्री अजय पुत्र श्री  
पालूराम (विक्रेता) निवासी वार्ड नं. 19 जगदम्बा कॉलोनी, श्रीगंगानगर एवं श्री राज मेहता पुत्र  
श्री छिन्द्रपाल (मालिक) निवासी 26 ए सेतिया फार्म, गली नंबर 08, श्रीगंगानगर, मैसर्स मेहता  
पैराडाईज होटल एंड रेस्टोरेंट, शॉप नंबर 41, अंबिका सिटी, कुंज विहार के सामने पदमपुर  
मार्ग, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का पनीर विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक  
01.10.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया।  
अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी 26 ए सेतिया फार्म श्रीगंगानगर को  
रहने वाला है। दिनांक 16.05.2024 को उक्त फर्म में पनीर का संपल लिया गया जिसमें जो  
आमजन को विक्रय हेतु होना बताया गया जो बाद में उचित अमानक सबस्टैंडर्ड पाया गया जो  
एफएसएसए 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन किया है। प्रार्थी पनीर को



अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)  
श्रीगंगानगर

बीकानेर पनीर हाउस, श्रीगंगानगर से खरीदकर लाता है इसलिए पनीर के अमानक की प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है फिर भी प्रार्थी क्षमा मांगता है।  
अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से अर्ज है कि उक्त प्रकरण में न्यायोचित कार्यवाही की जाकर नरमी का रूख अपनाते हुए कार्यवाही समाप्त की जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया पनीर का सैम्पल K-2329 स्टेट सेंट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक- L.S./666/Act/2024/666 Dated 27.05.2024 Substandard Food होना पाया गया है।  
अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम के तहत सही प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार नमूने का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "paneer" bearing Code No and Sr. No. K-2329, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Substandard food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण श्री अजय पुत्र श्री पालूराम (विक्रेता) निवासी वार्ड नं. 19 जगदम्बा कॉलोनी, श्रीगंगानगर एवं श्री राज मेहता पुत्र श्री छिन्द्रपाल (मालिक) निवासी 26 ए सेतिया फार्म, गली नंबर 08, श्रीगंगानगर, मैसर्स मेहता पैराडाईज होटल एंड रेस्टोरेंट, शॉप नंबर 41, अंबिका सिटी, कुंज विहार के सामने पदमपुर मार्ग, श्रीगंगानगर को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण श्री अजय पुत्र श्री पालूराम (विक्रेता) निवासी वार्ड नं. 19 जगदम्बा कॉलोनी, श्रीगंगानगर एवं श्री राज मेहता पुत्र श्री छिन्द्रपाल (मालिक) निवासी 26 ए सेतिया फार्म, गली नंबर 08, श्रीगंगानगर, मैसर्स मेहता पैराडाईज होटल एंड रेस्टोरेंट, शॉप नंबर 41, अंबिका सिटी, कुंज विहार के सामने पदमपुर मार्ग, श्रीगंगानगर को राशि रुपये 10,000-00 (अखरे रुपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुभाष कुमार)  
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (अर्थी)  
अति श्रीगंगानगर